संख्या-07/2026/158/क0नि0प्र0/26-3-2026-1420010

प्रेषक

प्रवीण मिश्र,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2026

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषय: भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के घटक आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत मदर सैंक्शन के रूप में प्राप्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-413/यो.अनु./पी.एम.-अजय/आदर्श ग्राम/2026-27 दिनांक 09-06-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-16015/31/2018-सीसी दिनांक 04-06-2026 द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के घटक आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत मदर सैंक्शन के रूप में प्राप्त रू0 1,02,51,51,000.00 (रू0 एक सौ दो करोड़ इक्यावन लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित नियमों व शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें:

1. प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026, शासनादेश संख्या-11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26 सितम्बर,2025 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 का होगा।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जायेगा।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्कतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
6. प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यह योजना SNA-स्पर्श प्रणाली पर आच्छादित है। अतः इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में विहित व्यवस्था के अनुरुप कार्यवाही की जाएगी।
8. प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक/शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था/ स्वीकृत प्रोजेक्ट के सापेक्ष शासन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
9. प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित परियोजना अधिकारी की होगी।
11. SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
12. समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अत: SNA स्तर पर पुन: परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार बिल साइबर ट्रेजरी को अग्रेषित किये जायेंगे।
13. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।
14. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्ष-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0112-पी0एम0 योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (के0-100/रा0-0-के0)-3967-UP-176-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-4-60-X-2026-27 दिनांक-15.07.2026 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा- परीक्षा (प्रथम/ द्वितीय) उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5- निदेशक,समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- कोषाधिकारी कैसरबाग / जवाहर भवन,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0 शासन।
9- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जया सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in